कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras @gmail.com

पत्रांक 1598/14–1, दिनांकः हाथरस, अक्टूवर,30 ,2018

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
एच0पी0सी0एल,
तृतीय तल, 85/4 इस्पात भवन, संजय पैलेस आगरा।

विषयः– **हाथरस में मथुरा सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0 102) किमी0 37 के चैनेज 36.590 की वांयी पटरी पर ग्राम अतुर्रे के खसरा संख्या–161 में एच0पी0सी0एल द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0604885646 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति**

संदर्भः– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक–पी–151/14–2–2018–800(140)/2018 दिनांक 10.10.2018

महोदय,

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक–पी–151/14–2–2018–800(140)/2018 दिनांक 10.10.2018 द्वारा हाथरस में मथुरा सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0 102) किमी0 37 के चैनेज 36.590 की वांयी पटरी पर ग्राम अतुर्रे के खसरा संख्या–161 में एच0पी0सी0एल द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0604885646 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी है। उक्त पत्र में दी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या के अनुसार धनराशि एवं शर्तों के अनुपालन की माँग निम्न प्रकार की जाती हैः–

शर्त सख्यां–1 वन भूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दि0 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले–आउट प्लान के आधार पर होगा –**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–2 सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–3 फयूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1X1.5मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–4 प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो) के अतिरिक्त होगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–5 प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.0604885646 है0 से अधिक नहीं होगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–6 इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार (नीड बेस्ड) आधारित है।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–7 प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) सं0 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि मु0 37866.00 (सैतीस हजार आठ सौ छियासठ रूपये मात्र) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय, तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर बिचार किया जायेगा। –**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–8 उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में ऑन लाईन ई–पोर्टल के माध्य से ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।

शर्त सख्यां–9 वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–10 नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

शर्त सख्यां–11 प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–12 प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयेाग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–13 प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यकित्यों से वनसम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–14 उक्त वनभूमि प्रस्ताव विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति प्राप्त हो जायेगी।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–15 भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007– एफसी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्यांj-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–16 उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–17 राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालीय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होगी।–

शर्त सख्यां–18 प्रयोक्त अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 सशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

शर्त सख्यां–19 प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव बिहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्च न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

<u>शर्त सख्यां–20</u> सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

<u>शर्त सख्यां–21</u> प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

<u>शर्त सख्यां–22</u> समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

<u>शर्त सख्यां–23</u> उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

<u>शर्त सख्यां–24</u> इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

<u>शर्त सख्यां–25</u> पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (Shp) फाइल में दर्शाया गया।

<u>शर्त सख्यां–26</u> प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्या–एफ0एन0संख्या–11 –268/2014 एफसी, दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा

<u>शर्त सख्यां–27</u> प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि मु0 161150.00 (रू0 एक लाख इक्सठ हजार एक सौ पचास मात्र) प्रतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) नई दिल्ली में ऑन लाईन ई–पोर्टल के माध्य से ई–चालान द्वारा जमा की जाये।

<u>शर्त सख्यां–28</u> यदि दो या अधिक रिटेल आउटलेटस का निर्माण अत्यंत निकट अथवा बगल में किया जाता है तो इन आउटलेटस के लिये निकास मार्ग एक ही होगा।

<u>शर्त सख्यां–29</u> प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।–**इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।**

<u>शर्त सख्यां–30</u> उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्वांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबंधों के अनुपालनर्थ प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण–पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय

(मुकेश शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।